न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 28 / 2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024 / 111

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
गणेशराम पुत्र श्री अचलाराम जाति सीरवी निवासी ग्राम रामपुरा, तहसील पाली जिला पाली (राज.)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी
सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **30.09.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार पाली के प्रकरण संख्या 682 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी वक्त बहस उपस्थित हुये। सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया पटवारी हल्का खैरवा II ने नायब तहसीलदार पाली के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने ग्राम खैरवा II के खसरा संख्या 974 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में से 05 बिस्वा पर अतिक्रमण किया है जिसके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कानूनी कार्यवाही की जावे। नायब तहसीलदार पाली ने जैर प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को जवाब व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जो बेदखली व जुर्माने का जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, विधि के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में पटवारी ने किस मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की है न तो यह स्पष्ट है तथा न ही बयान व जिरह का मौका दिया है जिससे भी जैर अपीलाधीन आदेश काबिले खारिज है। तहसीलदार पाली द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या एफ.6 / 17 राज / ख / 71 दिनांक 03.07.1971 के अनुसरण में खसरा संख्या 974 में से 500 वर्ग गज बाड़े का निःशुल्क आवंटन किया गया था जिसकी सनद भी अपीलार्थी के स्व. पिता अचला वल्द बुधा सीरवी के नाम से जारी की गई थी जिसके हैसियत से ही अपीलाण्ट जैर आराजी पर काबिज था न कि अतिक्रमी। अतः नायब तहसीलदार पाली द्वारा जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज फरमावे।

जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को पर्याप्त सुनवाई व जवाब का अवसर दिया गया है व जैर आदेश पूर्णतया

Scanned with ACE Scanner

नियमानुसार ही जारी किया गया है। अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजरसानी अपील सारहीन बलहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में उभयपक्षों की श्रवणशुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध राजकीय भूमि के खसरा संख्या 974 रकबा 0.05 बीघा पर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.01.2021 द्वारा अपीलाण्ट को बेदखल किया जाना एवं जुर्माना आरोपित किया है। अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में जो उज्र उठाये है उसमें प्रमुख उज्र यह है कि पटवारी ने किस मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की है न तो यह स्पष्ट है तथा न ही बयान व जिरह का मौका दिया है। वहीं अपीलाण्ट ने स्वयं अपने अपील–मीमो की कलम संख्या 04 में उक्त भूमि में से स्वयं के 500 वर्ग गज का बाडा होने का कथन करता है जिस से यह स्पष्ट होता है कि विवाद जिस भूमि का है इस बाबत् दोनों पक्ष भली प्रकार से विदित है। अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह भी है कि तहसीलदार पाली द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या एफ.6/17 राज/ख/71 दिनांक 03.07.1971 के अनुसरण में खसरा संख्या 974 में से 500 वर्ग गज बाड़े का निःशुल्क आवंटन किया गया था जिसकी सनद भी अपीलार्थी के स्व. पिता अचला वल्द बुधा सीरवी के नाम से जारी की गई थी। अपीलाण्ट विधिनुसार ही काबिज है तथा उसके के विधिपूर्वक कब्जे को हटाये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रमुख उज्र के समर्थन में न्यायिक नजीर 2012(2)RRT 1117 प्रस्तुत की है जिसमें यह कथन किया गया है कि यदि किसी कृषक को 18 फरवरी 1955 से लेकर 31 दिसम्बर 1970 से पूर्व किसी सरकारी कृषि भूमि के बाड़े हेतु आवंटन किया गया है तो मालिकाना हक दिया जावे तथा इस तरह बनाये गये स्वयं के उपयोग के लिए बनाये गये मकान का क्षेत्रफल 500 वर्ग गज से अधिक नहीं हो तथा यह भी वर्णन किया गया है कि इस दिनांक को 01 जुलाई 1975 तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा जिस सनद की फोटोप्रति पेश की है तथा नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया है, उक्त सनद में कहीं भी इस पट्टे के जारी होने की तिथि स्पष्ट नहीं है तथा न ही अपीलाण्ट द्वारा उसे यह पट्टा कब प्राप्त हुआ है यह वर्णित किया गया है, जिससे उक्त सनद का दिनांक 01 जुलाई 1975 से पूर्व जारी होना प्रमाणित नहीं होता है। अतएव उक्त न्यायिक नजीर इस प्रकरण में लागू नहीं होती है एवं तदनुसार किसी भी सरकारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति के नाजायज कब्जे को जारी रखने की कोई विधिकता नहीं होने से अपील–अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माने का आदेश बहाल रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक **30.09.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner